पत्रांक– 8/व० 3–19/2017..........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : ..../

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वेतन (माह जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक) के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि प्राप्ति की प्रत्याशा में अग्रिम रूप में सामानुपातिक राज्यांश की राशि ₹6,84,05,94,632 (छः अरब चौरासी करोड़ पाँच लाख चौरान्बे हजार छः सौ बत्तीस रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति।**

"अनौपचारिक रूप से परामर्शित"

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

आदेश :– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भारत सरकार के प्राजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की दिनांक 08.03.2017 की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान एवं कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹10558.59/– करोड़ (एक खरब पाँच अरब अंठावन करोड़ उनसठ लाख रूपये) स्वीकृत्त है, जिसमें 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश की राशि ₹6335.15/– करोड़ (तिरसठ अरब पैंतीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) एवं राज्यांश की राशि ₹4223.44/– करोड़ (बेयालिस अरब तेईस करोड़ चौवालीस लाख रूपये) है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा उक्त स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश के प्रथम किस्त के रूप में कुल राशि ₹18,81,10,97,000/– (अठारह अरब एकासी करोड़ दस लाख सनतान्बे हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान मद में उपलब्ध कराया गया था जिसके सामानुपातिक राज्यांश की राशि कुल ₹12,54,17,31,333/– (बारह अरब चौवन करोड़ सतरह लाख एकतीस हजार तीन सौ तैंतीस रूपये) मात्र सहायक अनुदान मद में सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध करा दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश मद में द्वितीय किस्त में राशि अद्यतन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन सहित नियोजित शिक्षकों का जुलाई, 2017 से वेतन भुगतान लंबित है। जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक उक्त कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु सहायक अनुदान मद में कुल राशि ₹17,10,14,86,578/– (सतरह अरब दस करोड़ चौदह लाख छियासी हजार पाँच सौ अठहत्तर रूपये) की आवश्यकता है, जिसमें समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹6,84,05,94,632/– (छः अरब चौरासी करोड़ पाँच लाख चौरान्बे हजार छः सौ बत्तीस रूपये) होता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वेतन (माह जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक) के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि प्राप्ति की प्रत्याशा में अग्रिम रूप में सामानुपातिक राज्यांश की राशि ₹6,84,05,94,632 (छः अरब चौरासी करोड़ पाँच लाख चौरान्बे हजार छः सौ बत्तीस रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹6,84,05,94,632/– (छः अरब चौरासी करोड़ पाँच लाख चौरान्बे हजार छः सौ बत्तीस रूपये) के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्यांश के रूप में निम्नलिखित विपत्र कोड से किया जायेगा:–

(क) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत राज्यांश की राशि ₹6,84,05,94,632/– (छः अरब चौरासी करोड़ पाँच लाख चौरान्बे हजार छः सौ बत्तीस रूपये) के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्ययक के बजट शीर्ष – 2202– सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष – 01– प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष – 111 – सर्व शिक्षा

अभियान, माँग संख्या –21, उपशीर्ष– 0301–सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०), विपत्र कोड–21–2202011110301 पी०एफ०एम०एस०कोड०–9164 के विषय शीर्ष–0301.31.04– सहायक अनुदान–वेतन से में उपबन्धित राशि ₹14,57,82,11,000/–(चौदह अरब संतावन करोड़ बेरासी लाख ग्यारह हजार रूपये) के अन्तर्गत ₹4,74,50,23,666/–(चार अरब चौहत्तर करोड़ पचास लाख तेईस हजार छः सौ छियासठ रुपये) एवं मुख्य शीर्ष – 2202– सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष – 01– प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–21, उपशीर्ष–0308–सर्व शिक्षा अभियान,(एस०एस०ए०) विपत्र कोड– 21–2202017890308 पी०एफ०एम०एस० कोड–9164 विषय शीर्ष–0308.31.04–सहायक अनुदान–वेतन से में उपबंधित राशि ₹4,00,00,00,000/–(चार अरब रूपये) के अन्तर्गत ₹1,52,19,51,334/– (एक अरब बावन करोड़ उन्नीस लाख एकावन हजार तीन सौ चौतीस रुपये) एवं मुख्य शीर्ष – 2202– सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष – 01– प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष –796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या –21, उपशीर्ष– 0309– सर्व शिक्षा अभियान, विपत्र कोड– 21–2202017960309 विषय शीर्ष–0309.31.04–सहायक अनुदान–वेतन से में उपबंधित राशि ₹1,42,17,89,000/–(एक अरब बेयालिस करोड़ सतरह लाख नवासी हजार रूपये) के अर्न्तगत ₹57,36,19,632/– (संतावान करोड़ छत्तीस लाख उन्नीस हजार छः सौ बत्तीस रूपये) से होगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के लिए राज्यांश मद में ₹20,00,00,00,000/–(बीस अरब रूपये) का उदव्यय एवं उपबंध निर्धारित है।

3. स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड– 2011 के नियम 270 के अनुसार बी०टी०सी० फॉर्म 42 A पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर नया सचिवालय, विकास भवन, पटना कोषागार से करके बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा राशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

4. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा उक्त राशि के व्यय से संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (बी०टी०सी० फॉर्म 42 A पुनरीक्षित) में निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना एवं निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 3002 दिनांक 26.04.2017 द्वारा वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका– 02 में प्रावधानित बंधेज को पूर्णरूपेण शिथिल किया गया है। अतः उपर्युक्त निकासी एकमुस्त की जायेगी।

6. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

8. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 17.11.2017 की बैठक में मद संख्या–18 के रूप में प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 8/व० 3–19/2017 के पृष्ठ 31/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8 / व० 3–19 / 2017........................./ पटना, दिनांक–........................../

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय विकास भवन, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8 / व० 3–19 / 2017........................./ पटना, दिनांक–........................../

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना/ सहायक निदेशक (योजना शाखा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8 / व० 3–19 / 2017.......72......./ पटना, दिनांक–....13.1.4.17../

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–05, शिक्षा विभाग एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग को दो प्रतियों में/I.T. Manager शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/17

सरकार के उप सचिव।